

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

Cr.J.(E)

In the court of _____, Magistrate _____

SUM. No. _____ Class इन्दौर

Complaint or report made on. - 8/8/2020

Name and address of the complaint : आबकारी वृत्त देवालयपुर

Name, parentage, caste and address of accused

शकेश पिता मंगु अहिरवार 2904
R10 वेता

The offence complained of, and date of, its alleged commission

यह कि आपने दिनांक 01.11.19 को 8-30 PM बजे के लगभग
स्थान वेता रोड स्वयं के कब्जे में पर आपने
अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 20 पाव
देशी/विदेशी मदिरा विधि विरुद्ध रखी।

ऐसा करके आपने म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय
अपराध कारित किया।

जे.एम.एस. देवालयपुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
देवालयपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)-

अपराध स्वीकार है

21/07/21

जे.एम.एस. देवालयपुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
देवालयपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

The offence proved, if any, and in case under clause (f) pt clause (g), of Sub-section (1) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

आज्ञा दिनांक 02/03/2020 को निर्णय किया गया।

1. आरोपी पर लागू आवक की अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत नवद्वीप को न्यायिक अधिकारों का आरोप है।
2. आरोपी को आरोप की निष्पत्ति पर न्यायिक अधिकारों का आरोप करने पर न्यायिक अधिकारों का आरोप है।
3. न्यायिक अधिकारों का आरोप करने की आदेश द्वारा न्यायिक अधिकारों का आरोप है।
4. न्यायिक अधिकारों का आरोप करने की अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत नवद्वीप को न्यायिक अधिकारों का आरोप करने तक के कारणों का आरोप है।
5. न्यायिक अधिकारों का आरोप करने पर आरोपी को 7 दिनों का अवकाश दिया जाएगा।
6. प्रकरण में आज 02/03/2020 को निर्णय किया गया।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2020 को घोषित कर पारित किया गया।

न्यायिक अधिकारों पर टीकित किया।

न्यायिक अधिकारों पर टीकित किया।

न्यायिक अधिकारों पर टीकित किया।